बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०–01/स्था० (न्याय)–35/2017..3954.........../न०वि०एवंआ०वि०। आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–1101/03/01/2016 –SVU - Patna दिनांक–09.08.16 के आलोक में श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बुडको सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को विभागीय अधिसूचना सं0–5356 दिनांक–12.06.2018 द्वारा निलंबित किया गया था।

उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सी0डब्लूजे0सी0 संख्या–14515/2017 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.01.2018 को पारित आदेश में विभागीय निलंबनादेश को निरस्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त याचिका में दिनांक–18.01.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया।

विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

In view of the facts an circumstances discussed hereinabove I am of the considered opinion that the order of the Hon'ble Court is well founded and based on the settled proposition of law and there is no illegality/infirmity in the order under reference and therefore I do not find any substance in the grounds for filling L.P.A as available in the record.

विद्वान महाधिवक्ता के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में विचारोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.01.18 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता का निलंबन संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0–5356 दिनांक–12.06.2018 को निरस्त किया जाता है। श्री सिंह के निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनो के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी तथा निलंबन अवधि में भुगताई गई जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित कर उक्त अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान किया जायेगा।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0–1499 दिनांक–13.03.18 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (न्याय)–35/2017......................../न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0 (न्याय)–35/2017..3954......../न0विआ0वि, पटना/दिनांक–26/12/18

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना/विभागीय जांच आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता पत्राचार का पता–रोड न0–14, राजीव नगर, डाक घर–केसरीनगर, थाना–राजीवनगर, जिला–पटना, पिन कोड–800024/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.12.18
सरकार के अवर सचिव

D:\Letter. 2018\Notification.docx